प्रकरण संख्या 07/2013 2016 00007 ता0रजू 07.06.2013

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल (फौत)
   1/1 घनश्याम पुत्र रामस्वरूप
   1/2 शशिकांत पुत्र रामस्वरूप
2. गजानंद पुत्र कल्याण
3. शिम्भूदयाल पुत्र कल्याण
4. पुष्पा बेवा कल्याण
5. मीना पुत्री कल्याण
6. पप्पी पुत्री कल्याण
7. तुलसीदास पुत्र हीरालाल
8. रघुवीर पुत्र हीरालाल
9. वलवीर पुत्र हीरालाल
10. पुष्पा पुत्री हीरालाल
11. बृजकिशोर पुत्र रतनलाल
12. बृजमोहन पुत्र रतनलाल
13. सुशीला पुत्री रतनलाल
14. गीता पुत्री रतनलाल
15. सरवती पुत्री रतनलाल
16. द्वारिकाप्रसाद पुत्र बुद्धूलाल
17. कन्हैया पुत्र बुद्धूलाल(फौत)
    17/1 हनुमंती वेबा कन्हैया

समस्त जातियान् ब्राहाण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 13.08.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि लैण्डहोल्डर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 550, 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 10 रकबा 4–05 बीघा ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। उक्त आराजी खसरा नम्बर खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 के खाता संख्या 215 एवं 226 के अनुसार माफी मंदिर श्री कल्याण जी खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में अंकित आराजीयात की जमाबन्दी खाता संख्या 47 सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 47 की प्रविष्टि खातेदार रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल, गजानंद, शिम्भूदयाल पि. कल्याण, पुष्पा बेवा कल्याण, मीना, पप्पी पुत्रियां कल्याण, तुलसीदास, रघुवीर, वलवीर पि. हीरालाल, पुष्पा पुत्री हीरालाल, बृजकिशोर, बृजमोहन पि. रतनलाल, सुशीला, गीता, सरवती पुत्रियां रतनलाल, द्वारिका प्रसाद, कन्हैया पुत्र बुद्धू समस्त जातियान् ब्राहाण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली के नाम अवैध हस्तांतरण कर दी गई है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में अंकित आराजी की प्रविष्टी जरिये नामांतकरण संख्या विरासत् से वारिसान के नाम तब्दील/हस्तांतरित कर दी गई है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदार अधिकार मूती अल्पसंख्यक में निहित है। इसलिये राज्य सरकार के परिपत्र/3/606/रे0/जी0आर0/4176/जयपुर दिनांक 30.03.1977 के तहत मद संख्या 3 में हुआ हस्तांतरण अवैध है। हस्तांतरण होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम 956 की धारा 82 व जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में दर्ज खातेदारी निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर
करौली

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम हुई मद संख्या 3 में अंकित खातेदारी को निरस्त कर उक्त आराजी का इन्द्राज माफी मंदिर श्री कल्याण जी नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 4, 7 ता 16 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में तहसीलदार मण्डरायल का लैण्ड होल्डर होना सही है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 गलत है स्वीकार नहीं है। सम्वत् 2015 के खाता संख्या 215 एवं 226 के अनुसार मंदिर कल्याण जी के खुदकाश्त होना गलत अंकित किया है। ठाकुरजी सम्वत् 2015 की बंदोबस्त खतौनी में माफी मंदिर श्री ठाकुरजी अंकित है किन्तु ठाकुरजी का नाम अंकित नहीं है एवं खुदकाश्त भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 गलत है और स्वीकार नहीं है। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा सही तथ्यों को छिपाया है और गलत तथ्य अंकित किये है व तहसीलदार मण्डरायल शुद्धहस्त से प्रार्थनापत्र लेकर नहीं आया है। प्रार्थनापत्र का मद नं. 3 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजीयात खसरा नंबर 550, 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 10 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा बाके ग्राम बाटदा में अप्रार्थीगण की प्रविष्ठ सही एवं विधि अनुकूल है। सम्वत् 2015 बंदोवस्त खतौनी जिसके आधार पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर यह भूमि माफी की दर्ज है। माफी जागीरदारी भूमि की एक किस्म है जिसे जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा–9 के अनुसार समस्त जागीर की भूमियों की जागीर समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जे में ली गई इस भूमि में ठाकुरजी जागीरदार थें जिन्हें वह भूमि माफी के रूप में प्राप्त हुई और सेटिलमेंट में जागीर रिजम्पशन एक्ट के प्रावधानों की पालना में उक्त भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में लेकर धारा–10 के अनुसार जो कृषिक उस पर कृषि करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार दे दिये गये इस प्रकार यह भूमि अवैध हस्तांतरण की तारीफ में नहीं आती है हमारे हक में कृषक के रूप में सेटिलमेंट बंदोबस्त खतौनी में भी इन्द्राज मौजूद है सेटिलमेंट खतौनी में कॉलम संख्या 3 में हमारे पूर्वज रामहेत वगैरहा का नाम दर्ज है एवं कॉलम नं. 4 में बुद्धू पुत्र माखन का नाम व्यवस्थापक के रूप में दर्ज है। इस प्रकार हमारे हक में किया गया इन्द्राज राजस्व अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुये कानून के प्रावधानों के अनुसार दर्ज किया गया जो प्रार्थी तहसीलदार मण्डरायल के द्वारा दर्ज किया गया। इस प्रकार हमारे हक में की गई खातेदारी में कोई अनियमितता व कानून के विरूद्ध कोई बात नहीं है हमारे खातेदारी विधि के अनुकूल एवं सही है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 के अनुसार हमारे पूर्वजों की मृत्यु के बाद हमारे हक में विरासत सही खोली गई है जो विधि सम्वत् है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 गलत है स्वीकार नही है तहसीलदार मण्डरायल द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 3/606/रे./जी.आर./7176 जयपुर दिनांक 30/3/1977 के अनुसार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि राज्य सरकार का यह परिपत्र वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इस परिपत्र को कानून का दर्जा प्राप्त नही हुआ और यह ओडिनेन्स छः माह बाद अपने आप में ही प्रभावहीन हो गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13/12/91 तथा दिनांक 6/3/2007 तथा 24/5/2007 को भी इसी बिन्दू पर नये परिपत्र जारी किये गये और इन परिपत्रों में यह आदेश दिया गया कि मन्दिर माफियो की भूमियों में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमगार आदि के नाम

जिला कलक्टर
करौली

दर्ज थी उनमें उन खातेदारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होंगें। ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियें का नाम निरंतर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 6/1/2010 को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 4–3(2) राज. 6/2007/44 दिनांक 24/05/2007 की पालना में पत्र क्रमांक राज./प./63/न्याय./स्था./057636–689 जारी किया गया जो समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर एवं समस्त राजस्व अपीलीय अधिकारियो को भेजकर यह निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 के अनुसार समस्त लम्बित प्रकरणों में कार्यवाही करावें। उक्त आदेश की फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न है। इस प्रकार तहसीलदार मण्डरायल द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में जिस राज्य सरकार के प्रपत्र को आधार माना गया है वह इंफोर्सेविल नही है और जो कानून अप्रभावी हो गया है। उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती बल्कि दिनांक 24/05/2007 के परिपत्र के अनुसार इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना विधि के अनुसार आवश्यक है। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र 44 साल बाद प्रस्तुत किया गया है धारा 82 एल.आर.एक्ट में कोई मियाद नही है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी नजीरो से यह विधि प्रतिपादित की है कि 30 साल के बाद धारा 82 एल.आर.एक्ट के बाद नही की जा सकती है और की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर मानी जावेगी। डी.एन.जे. 2000 राजस्थान में सिविल रिट पिटीशन उनवानी भागीरथ एण्ड अदर्स बनाम राज. सरकार एण्ड अदर्स में पेज संख्या 472 पर यह लॉ लैटडाऊन किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण क्षेत्राधिकार के बाहर है एवं म्याद के बाहर है और इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। डी.एन.जे. 2000 राज. में पेज संख्या 528 पर गौरीशंकर बनाम राज. सरकार में अपने निर्णय से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 9–10 जागीर मन्दिर एक्ट व देवमूर्ति की भूमि को जागीर एक्ट के प्रावधानों के द्वारा राज्य सरकार ने अर्जित कर लिया तो उस भूमि का स्वरूप पलट गया और उस भूमि पर रहने वाला कृषक अपने आप उस कृषि का कृषक किरायेदार बन गया। वह उस भूमि पर खेती करते हुये उस पर काबिज था इसीलिये उसे खेती के हक प्राप्त हो गये ऐसी स्थिति में उसे हक है कि वह उस भूमि का स्वामी बने अथवा उस भूमि का विक्रय कर दें। माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा आर.एल.आर. 1990(1) पेज 161 पर डबल बेंच की रूलिंग जो माननीय राज. हाइकोर्ट डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 306/78, 494/8, 495/82 व 952/85 के निर्णय में यह भी आदेश पारित किया गया है कि जागीर रिजंपशन एक्ट के बाद भूमि टीनेन्टस की खातेदारी की भूमि के रूप में ट्रीट की जावें उसमें मन्दिर या देव मूर्ति के कोई अधिकार नहीं होंगें। इन चारो रिट पिटीशन में राज्य सरकार के विरूद्ध यह आदेश पारित किये गये जिनकी पालना के लिये राज्य सरकार बाध्य है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24/05/2007 के परिपत्र द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को यही आदेश पालना हेतु भिजवाये गये इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जवाबदार प्रार्थीगण के हक में की गई खातेदारी सेटिलमेंट विभाग द्वारा की गई है जो श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के अधीनस्थ नहीं है और उनके द्वारा किये गये आदेश या एन्ट्री के विरूद्ध धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार जिला कलक्टर करौली को नही है ना ही उसकी वैधता औचित्य और नियमितता की जांच करने का भी जिला कलक्टर को अधिकार नही है इस प्रकार यह रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 126 एल.आर.एक्ट के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी इन्द्राज मानने योग्य है सम्वत् 2015 के आज से 45 साल पुराने इन्द्राज मानने योग्य नहीं है और न ही उनके आधार पर कार्यवाही किया जाना उचित है। उपरोक्त प्रकरण में किसी भी मंदिर या किसी देव मूर्ति के प्रतिनिधि द्वारा कोई भी मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पक्षकारों के निजी मामलों में लैण्ड होल्डर को सीधे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है

जिला कलक्टर
करौली

एवं न ही श्रीमान् जिला कलक्टर को कार्यवाही करने का अधिकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी जवाबदार के हक में की गई समस्त एंट्री सही एवं विधि अनुकूल है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार मण्डरायल विधि के प्रावधानों के विपरीत व तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने येाग्य है जो खारिज किया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2,3,5,6 बावजूद सूचना स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आये और ना की कोई जवाब पेश किया। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2, 17/1 जरिये वकील उपस्थित आये लेकिन कोई जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 550, 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 10 रकबा 4–05 बीघा ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 के खाता संख्या 215 एवं 226 के अनुसार माफी मंदिर श्री कल्याण जी खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात की जमाबन्दी खाता संख्या 47 सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 47 की प्रविष्टि खातेदार रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल, गजानंद, शिम्भूदयाल पि. कल्याण, पुष्पा बेवा कल्याण, मीना, पप्पी पुत्रियां कल्याण, तुलसीदास, रघुवीर, वलवीर पि. हीरालाल, पुष्पा पुत्री हीरालाल, बृजकिशोर, बृजमोहन पि. रतनलाल, सुशीला, गीता, सरवती पुत्रियां रतनलाल, द्वारिका प्रसाद, कन्हैया पुत्र बुद्धू समस्त जातियान् ब्राहाण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली के नाम अवैध हस्तांतरण कर दी गई है। उक्त आराजीयात के खातेदार अधिकार मूती अल्पसंख्यक में निहित है। इसलिये राज्य सरकार के परिपत्र/3/606/रे0/जी0आर0/4176/जयपुर दिनांक 30.03.1977 के तहत मद संख्या 3 में हुआ हस्तांतरण अवैध है। हस्तांतरण होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम 956 की धारा 82 व जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में दर्ज खातेदारी निरस्त योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सम्वत् 2015 के खाता संख्या 215 एवं 226 के अनुसार मंदिर कल्याण जी के खुदकाश्त होना गलत अंकित किया है। ठाकुरजी सम्वत् 2015 की बंदोबस्त खतौनी में माफी मंदिर श्री ठाकुरजी अंकित है किन्तु ठाकुरजी का नाम अंकित नहीं है एवं खुदकाश्त भी अंकित नहीं है। उक्त आराजीयात खसरा नंबर 550, 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 10 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा बाके ग्राम बाटदा में अप्रार्थीगण की प्रविष्ठि सही एवं विधि अनुकूल है। सम्वत् 2015 बंदोवस्त खतौनी जिसके आधार पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर यह भूमि माफी की दर्ज है। माफी जागीरदारी भूमि की एक किस्म है जिसे जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा–9 के अनुसार समस्त जागीर की भूमियों की जागीर समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जे में ली गई इस भूमि में ठाकुरजी जागीरदार थें जिन्हें वह भूमि माफी के रूप में प्राप्त हुई और सेटिलमेंट में जागीर रिजम्पशन एक्ट के प्रावधानों की पालना में उक्त भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में लेकर धारा–10 के अनुसार जो कृषिक उस पर कृषि करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार दे दिये गये इस प्रकार यह भूमि अवैध हस्तांतरण की तारीफ में नहीं आती है हमारे हक में कृषक के रूप में सेटिलमेंट बंदोबस्त खतौनी में भी इन्द्राज मौजूद है सेटिलमेंट खतौनी में कॉलम संख्या 3 में हमारे पूर्वज रामहेत वगैरहा का नाम दर्ज है एवं कॉलम नं. 4 में बुद्धू पुत्र माखन का नाम व्यवस्थापक के रूप में दर्ज है। इस प्रकार हमारे हक में किया गया इन्द्राज राजस्व अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुये कानून के प्रावधानों के अनुसार दर्ज किया गया जो प्रार्थी तहसीलदार मण्डरायल के द्वारा दर्ज किया गया। तहसीलदार

जिला कलक्टर
करौली

मण्डरायल द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 3/606/रे./जी.आर./7176 जयपुर दिनांक 30/3/1977 के अनुसार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि राज्य सरकार का यह परिपत्र वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इस परिपत्र को कानून का दर्जा प्राप्त नही हुआ और यह ओडिनेन्स छः माह बाद अपने आप में ही प्रभावहीन हो गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13/12/91 तथा दिनांक 6/3/2007 तथा 24/5/2007 को भी इसी बिन्दू पर नये परिपत्र जारी किये गये और इन परिपत्रों में यह आदेश दिया गया कि मन्दिर माफियो की भूमियों में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिशचित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमगार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होंगें। ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियें का नाम निरंतर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 6/1/2010 को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 4–3(2) राज. 6/2007/44 दिनांक 24/05/2007 की पालना में पत्र क्रमांक राज./प./63/न्याय./स्था./057636–689 जारी किया गया जो समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर एवं समस्त राजस्व अपीलीय अधिकारियो को भेजकर यह निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 के अनुसार समस्त लम्बित प्रकरणों में कार्यवाही करावें। उक्त आदेश की फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न है। इस प्रकार तहसीलदार मण्डरायल द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में जिस राज्य सरकार के प्रपत्र को आधार माना गया है वह इंर्फोसेविल नही है और जो कानून अप्रभावी हो गया है। उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती बल्कि दिनांक 24/05/2007 के परिपत्र के अनुसार इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना विधि के अनुसार आवश्यक है। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र 44 साल बाद प्रस्तुत किया गया है धारा 82 एल.आर.एक्ट में कोई मियाद नही है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी नजीरो से यह विधि प्रतिपादित की है कि 30 साल के बाद धारा 82 एल.आर.एक्ट के बाद नही की जा सकती है और की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर मानी जावेगी। डी.एन.जे. 2000 राजस्थान में सिविल रिट पिटीशन उनवानी भागीरथ एण्ड अदर्स बनाम राज. सरकार एण्ड अदर्स में पेज संख्या 472 पर यह लॉ लैटडाऊन किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण क्षेत्राधिकार के बाहर है एवं म्याद के बाहर है और इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। डी.एन.जे. 2000 राज. में पेज संख्या 528 पर गौरीशंकर बनाम राज. सरकार में अपने निर्णय से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 9–10 जागीर मन्दिर एक्ट व देवमूर्ति की भूमि को जागीर एक्ट के प्रावधानों के द्वारा राज्य सरकार ने अर्जित कर लिया तो उस भूमि का स्वरूप पलट गया और उस भूमि पर रहने वाला कृषक अपने आप उस कृषि का कृषक किरायेदार बन गया। वह उस भूमि पर खेती करते हुये उस पर काबिज था इसीलिये उसे खेती के हक प्राप्त हो गये ऐसी स्थिति में उसे हक है कि वह उस भूमि का स्वामी बने अथवा उस भूमि का विक्रय कर दें। माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा आर.एल.आर. 1990(1) पेज 161 पर डबल बेंच की रूलिंग जो माननीय राज. हाइकोर्ट डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 306/78, 494/8, 495/82 व 952/85 के निर्णय में यह भी आदेश पारित किया गया है कि जागीर रिजंपशन एक्ट के बाद भूमि टीनेन्टस की खातेदारी की भूमि के रूप में ट्रीट की जावें उसमें मन्दिर या देव मूर्ति के कोई अधिकार नहीं होंगें। इन चारो रिट पिटीशन में राज्य सरकार के विरूद्ध यह आदेश पारित किये गये जिनकी पालना के लिये राज्य सरकार बाध्य है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24/05/2007 के परिपत्र द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को यही आदेश पालना हेतु भिजवाये गये इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जवाबदार प्रार्थीगण के हक में की गई

जिला कलक्टर
कसैली

खातेदारी सेटिलमेंट विभाग द्वारा की गई है जो श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के अधीनस्थ नहीं है और उनके द्वारा किये गये आदेश या एन्ट्री के विरूद्ध धारा 82 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार जिला कलक्टर करौली को नही है ना ही उसकी वैधता औचित्य और नियमितता की जांच करने का भी जिला कलक्टर को अधिकार नही है इस प्रकार यह रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 126 एल.आर. एक्ट के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी इन्द्राज मानने योग्य है सम्वत् 2015 के आज से 45 साल पुराने इन्द्राज मानने योग्य नहीं है और न ही उनके आधार पर कार्यवाही किया जाना उचित है। उपरोक्त प्रकरण में किसी भी मंदिर या किसी देव मूर्ति के प्रतिनिधि द्वारा कोई भी मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पक्षकारों के निजी मामलों में लैण्ड होल्डर को सीधे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है एवं न ही श्रीमान् जिला कलक्टर को कार्यवाही करने का अधिकार है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किये जाने का कथन किया है।

हमने बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल की जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 के अनुसार खाता संख्या 215 में आराजी खसरा नम्बर 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 9 कुल रकबा 4–00 बीघा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी खुदकाबिज एवं खाता संख्या 226 में आराजी खसरा संख्या 550 रकबा 05 विस्वा माफी ठाकुरजी श्री कल्याणजी खुदकाबिज दर्ज है और दोनों ही खातों में अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री बुद्धू पुत्र माखन का नाम बतौर पुजारी दर्ज है जिसे कालांतर में पुजारी व उसके वारिसान के फौत होने पर माफी मंदिर एवं माफी का नाम हटाकर जरिये विरासत नामांतरकरण जमाबंदी में पुजारी बुद्धू के वारिसान रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल, गजानंद, शिम्भूदयाल पि. कल्याण, पुष्पा बेवा कल्याण, मीना, पप्पी पुत्रियां कल्याण, तुलसीदास, रघुवीर, वलवीर पि. हीरालाल, पुष्पा पुत्री हीरालाल, बृजकिशोर, बृजमोहन पि. रतनलाल, सुशीला, गीता, सरवती पुत्रियां रतनलाल, द्वारिका प्रसाद, कन्हैया पुत्र बुद्धू समस्त जातियान् ब्राहाण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली के नाम दर्ज कर दिया है जिससे जमाबंदी संवत् 2066–69 में अप्रार्थीगण के हक में उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज हो गयी है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से उसके खुर्द–बुर्द होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं। चूंकि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 3/606/रे0/जी0आर0/4176 जयपुर दिनांक 30.03.1977 के तहत इस प्रकार के हस्तांतरण को अवैध माना गया है। अतः हम रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः लैण्डहोल्डर एवं तहसीलदार मण्डरायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल में स्थित आराजी खसरा नं. 550, 551, 552, 553, 561, 562, 563, 604, 605, 606 कुल किता 10 रकबा 4–05 बीघा की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर वापिस माफी मंदिर श्री ठाकुर जी श्री कल्याण जी बाके विराजमान साकिन देह के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली